



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND  
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-cepwdua@gmail.com

Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 1194 / 35व्यक-सा0 / 18

दिनांक 08/06/2018

**:कार्यालय ज्ञापः**

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को निजी हित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं।

क0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री मुनेन्द्र राजपूत प्रभारी सहायक अभियन्ता	ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	17 (1) (ख)

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

(आर0सी0 पुरोहित)  
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/ए0डी0बी0 कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी/देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, छठा/ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/टिहरी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, .....
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/दुगड्डा।
7. श्री मुनेन्द्र राजपूत, प्रभारी सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
8. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता



पत्रांक 1193 / 35व्यक-सा0/18

दिनांक 08/06/2018

**कार्यालय ज्ञापः**

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को निजी हित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं।

क0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज सिंह पंवार प्रभारी सहायक अभियन्ता	विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	17 (1) (ख)

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

(आरोसी0 पुरोहित)  
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता (मु0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी।
- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- I/ II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, .....
- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
- श्री मनोज सिंह पंवार, प्रभारी सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
- प्रशासनिक अधिकारी, कैश वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता



पत्रांक 1192 / 35व्यक-सा0 / 18

दिनांक 08/06/2018

**:कार्यालय ज्ञाप:**

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को निजी हित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री राजबीर सिंह चौहान सहायक अभियन्ता	विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी	17 (1) (ख)

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिकक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

(आर0सी0 पुरोहित)  
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी।
4. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- I/ II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, .....
7. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी।
9. श्री राजबीर सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
10. प्रशासनिक अधिकारी, कैश वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
11. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
12. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

5/6/18

